

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

युआईडी संख्या: UPFS/2026/213985/ALB/ALLAHABAD/4881/CFO

दिनांक: 14-08-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SAMRAT ASHOK MAHAN PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **0,MATHURA URF PARANDEEH GARAPUR PHULPUR,PRAYAGRAJ** तहसील - **PHULPUR** जिल्लों

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	2	0	7.00 mt.

तथा प्लॉट एरिया **2508 sq.mt** है। भवन का अधियोग **SAMRAT ASHOK MAHAN PUBLIC SCHOOL** (भवन स्तावी/ अधियोगी अथवा कम्पमी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एनआविठरीठ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के अधिष्ठापक के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **20-08-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ASHISH KUMAR KUSHWAHA samratcollege2014@gmail.com 9616494098** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार सम्यक्षिणी में पाया गया। अतः प्रशस्त भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एनआविठरीठ की अधियोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **20-08-2026** से **19-08-2031** तक **5** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में, स्थापित अधिसमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : The Instant NOC is being issued based on site visit observation and recommendation made thereon with following conditions- 1. भवन में वर्तमान मेवितार्त / अतिरिस्त निर्माण कार्य जाने की दशा में अधिसमन विभाग द्वारा पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। 2. भवन में स्थापित अधिसमन व्यवस्थाओं को सदैव क्रयाशील दशा में बनाये रखना अनिवार्य होगा 3. प्रतिवर्ष बिलिंग फोस तेखा सयिक के द्वारा कराने के उपरांत अधिसमन पद्धति का अनुरक्षण व अधिसमन यंत्रों का सोयव कराकर फिपसंधोजिंठ कराना अनिवार्य होगा। 4. Ensure the availability of OH water tank capacity upto 10000 L and another down comer water pipe line system as per standard within 45days.

“यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अतिथियों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इसके अलवा पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र: भूमि / भवन के स्वामित्व / अधियोग को प्रमाणित नहीं करता है।”

हस्ताक्षर (निर्मन्क अधिकारी)
(मुख्य अग्निसमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(CHANDRA MOHAN SHARMA)

[E9C86CA1CE56057A80F4E1EF308631920A95982]

20-08-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 20-08-2026
स्थान : ALLAHABAD